न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35 / 2019

दायरी दिनांक 28.05.2019

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़। ---प्रार्थी

बनाम

1. राजेशकुमार पिता नंदलाल इनाणी निवासी पुरानी सब्जी मण्डी चितौडगढ़।

---अप्रार्थी

उपस्थित :-

1. तहसीलदार माण्डलगढ़ ।
2. संजय चौहान (अधिवक्ता अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 03.06.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रानीखेड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2805 / 524 रकबा 7 बीघा अप्रार्थी राजेशकुमार पिता नंदलाल ईनाणी निवासी पुरानी सब्जी मण्डी चितौडगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी नम्बर 2805 / 524 रकबा 7 बीघा की तरमीम राजस्व नक्शे मे जमाबंदी अनुसार मूल आराजी नम्बर 524 में नही होकर 523 में की हुई है। अप्रार्थी का कब्जा पत्रावली में संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार मूल आराजी नम्बर 524 में है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार DILRMP के तहत राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है अतः ग्राम रानीखेड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2805 / 524 रकबा 7 बीघा की नक्शा लट्ठे में की गई पूर्व तरमीम को निरस्त कर पत्रावली में संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार मूल आराजी नम्बर 524 में किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल भेज करवायी गयी। अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी की और से श्री संजय चौहान अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि यदि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही होगी।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य स्वरूप, पटवारी रिपोर्ट , प्रश्नगत आराजी की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–2077, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान नक्शे लट्ठे में आराजी नम्बर की तरमीम मूल आराजी नम्बर 524 में नही होकर आराजी नम्बर 523 में की हुई है । अतः प्रथम दृष्ट्या आराजी नम्बर 2805 / 524 की नक्शा लट्ठे में की गई पूर्व तरमीम को निरस्त किया जाकर पत्रावली में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रानी खेड़ा पटवार हल्का खटवाडा में स्थित आराजी नम्बर 2805 / 524 रकबा 7 बीघा की नक्शा लट्ठे में की गई पूर्व तरमीम को निरस्त किया जाकर पत्रावली में संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार मूल आराजी नम्बर 524 में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डलगढ को राजस्व रिकार्ड में आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो।

(त्रिलोक चंद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner